भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2025

क्रमांक–1643/मप्रविनिआ/2025–विद्युत अधिनियम,2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 14, 15, 16, 17, 18, 19 तथा 52 सहपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग,राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति (Intra-State Trading Licence) की प्राप्ति हेतु एतद्द्वारा, राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन, कर्तव्यों एवं निबंधन तथा शर्तें तथा राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु अनुसरण की जाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में योग्यता मानदण्ड निर्दिष्ट किये जाने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया निबंधन एवं शर्तें तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) संबंधी अन्य मामले} विनियम, 2025 {आरजी–18(I), वर्ष 2025}

अध्याय –1 : प्रारंभिक(Prelimininary)

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (Short Title and Commencement):**

1.1 ये विनियम" **मध्यप्रदेश विद्युतनियामकआयोग {राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए} संबंधी अन्य मामले} (पुनरीक्षण–प्रथम), विनियम, 2025 {आरजी–18(I), वर्ष 2025}"** कहलाएंगें।

1.2 ये विनियम ऐसे किसी व्यक्ति को प्रयोज्य होंगे जो मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत का राज्यान्तरिक व्यापार निर्वहन करने का उत्तरदायित्व लेता हो :

परन्तु यह कि विद्युत में व्यापार के दायित्व के निर्वहन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति (trading licence) प्राप्त करना आवश्यक न होगा :

परन्तु आगे यह और कि भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 379(E) दिनांक 8 जून, 2005 के अनुसार अधिसूचित विद्युत नियम, 2005 के नियम 9 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अधिनियम की धारा 14 सहपठित धारा 79 की उप–धारा(1) के खण्ड(ङ) के अधीन किसी विद्युत व्यापारी जिसे अन्तर्राज्यीय संक्रियाओं (Inter-State operations) हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई हो, को भी आयोग से राज्यान्तरिक व्यापार हेतु पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त

किये बगैर राज्यान्तरिक व्यापार संक्रिया का दायित्व निर्वहन करने की पात्रता होगी।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश के ''राजपत्र'' में इनकी प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषाएं (Definitions) :**

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयोग में लाये गये शब्दों, शब्दावलियों एवं अभिव्यक्तियां, यदि इन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में इनके लिये निर्दिष्ट हैं :

क) ''**अधिनियम (Act)**'' से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

ख) ''**अनुबन्ध (agreement)**'' से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी (राज्यान्तरिक विद्युत व्यापारी) तथा यथास्थिति विद्युत का विक्रेता (Seller), विद्युत का क्रेता (buyer), अन्य अनुज्ञप्तिधारी (licensees) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) के मध्य निष्पादित अनुबन्ध {agrrement(s)} जो कतिपय व्यापारिक संव्यवहारों (trading transactions) का सामर्थ्य प्रदान करता हो/करते हों ;

ग) ''**वार्षिक लेखे (Annual Accounts)**" से अभिप्रेत है समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबन्धों के अनुसार और/या ऐसी अन्य रीति में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) द्वारा तैयार किये गये लेखे जैसा कि अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम (MP Act) के संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए ;

घ) ''**आवेदक (Applicant)**" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत के राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-state trading of electricity) हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या याचिका प्रस्तुत की गई है;

ङ) ''**आवेदन (Application)**" से अभिप्रेत है, विद्युत के राज्यान्तरिक व्यापार हेतु यथास्थिति अनुज्ञप्ति प्रदान करने या संशोधन या नवीनीकरण या प्रतिसंहरण/निरसन (revocation) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन/याचिका तथा इसमें ऐसे आवेदन से संबंधित अनुलग्नक (annexures) संलग्नक (enclosures) सम्मिलित हैं ;

च) ''**क्रियाकलाप/गतिविधि का क्षेत्र (Area of Activity)**" से अभिप्रेत है, व्यापार अनुज्ञप्ति (trading licence) में कथित क्षेत्र जिसके अन्तर्गत व्यापार

अनुज्ञप्तिधारी को व्यापार के संचालन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

छ) **"अंकेक्षकों (Auditors)"** से अभिप्रेत है व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) के अंकेक्षक/सम्परीक्षक/लेखा परीक्षक (auditors) तथा यदि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी कोई कम्पनी हो तो समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की आवश्यकताओं के अनुसार पद धारित करने वाले अंकेक्षक/सम्परीक्षक/लेखा परीक्षक ;

ज) **"प्राधिकृत (Authorised)"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति, कारोबार (business) या गतिविधि/क्रियाकलाप (activity) के संबंध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के तीसरे तथा नवें परन्तुक के अधीन प्रदत्त समझी गई या फिर अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदान की गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत की गई ;

झ) **"आयोग (Commission)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

ञ) **"कारबार का संचालन विनियम (Conduct of Business Regulations)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथापुनरीक्षित एवं यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 ;

ट) **"चालू अनुपात (Current Ratio)"** से अभिप्रेत है चालू परिसम्पत्तियों/आस्तियों (Current Assets) तथा चालू देयताओं/देनदारियों (Current Liabilities) के मध्य अनुपात, जहां :

(एक) चालू परिसम्पत्तियों/आस्तियों (Current Assets) में रोकड़/नगद (Cash) या धनराशि का रोकड़ तुल्यमान (Cash equivalent of money), प्राप्य लेखे (accounts receivables), सामग्री सूची (Inventory), चालू निवेश (Current Investments) सम्मिलित किये जाते हैं परन्तु सहयोगियों (associates) के लिये किये गये पूंजी निवेशों तथा पूर्व अदायगी व्ययों (prepaid expenses) को सम्मिलित नहीं किया जाता ; और

(दो) चालू देयताओं/देनदारियों में विविध ऋणदाताओं (sundry creditors), प्रावधानों (provisions) तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर

चुकाई जाने वाली देयताओं/देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है;

ठ) **"ग्राहक (Customer)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो व्यापारी से विद्युत का क्रय करता है तथा इसमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee), अन्य किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) तथा किसी उपभोक्ता (Consumer) को सम्मिलित किया जाता है जिसके साथ उसके द्वारा विक्रय अनुबन्ध (sale agreement) निष्पादित किया जाता है ;

ड) **"समझा गया अनुज्ञप्तिधारी (Deemed Licensee)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के कतिपय प्रावधानों के अधीन विद्युत के राज्यान्तरिक व्यापार (intra-state trading of electricity) हेतु अनुज्ञप्तिधारी समझा गया हो ;

ढ) **"वितरण (Distribution)"** से अभिप्रेत है किसी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत कर पारेषण (conveyance)या चक्रण (Wheeling) ;

ण) **"वितरण संहिता (Distribution Code)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथापुनरीक्षित तथा संशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024;

त) **"विद्युत प्रदाय संहिता (Electric Supply Code)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथापुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 ;

थ) **"विद्युत व्यापारी (Electricity Trader)" या "व्यापारी (Trader)"** से अभिप्रेत है ऐसे कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत के राज्यान्तिरक व्यापार के दायित्व का निर्वहन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, या अधिनियम की धारा 14 के तीसरे एवं नवें परन्तुक के अधीन समझा गया अनुज्ञप्तिधारी निरूपित किया गया हो या फिर अधिनियम की धारा 13 के अधीन छूट प्रदान की गई हो;

द) **"वित्तीय विवरण–पत्र (Financial Statement)"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वितरण पत्र जिसमें कोई लाभ तथा हानि लेखा (Profit and Loss Account),तुलन–पत्र (balance-sheet) तथा स्त्रोतों तथा निधि के अनुप्रयोग का विवरण–पत्र (statement of sources and application of funds) मय संलग्न टिप्पणियों (notes) के तथा ऐसी अन्य विशिष्टताओं तथा विवरणों के सम्मिलित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए, कतिपय राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति/आस्ति, देयता/देनदारी,

संचिति (reserve) या प्रावधान की राशियों को दर्शाते हुए जिसे अनुज्ञप्त कारोबार (licensed business) से किसी अन्य कारोबार को या विलोमात्मक (viceversa) प्रभारित किया गया हो, मय उक्त प्रभार का आधार दर्शाते हुए या फिर जिसे आनुपातिक आधार पर या फिर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु आनुपातिक या आवंटन के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त व्यापार या किसी अन्य व्यापार के मध्य अवधारित किया गया हो।

वित्तीय विवरण के अन्तर्गत पृथक से उपरोक्त उल्लेखित आवश्यकताओं को अनुज्ञप्त कारोबार तथा अन्य कारोबार(ों) हेतु जहां अनुज्ञप्तिधारी को आयोग के अनुमोदनानुसार नियोजित किया गया हो, पृथक–पृथक दर्शाया जाएगा ;

ध) **"वित्तीय वर्ष (Financial Year)या वर्ष (Year)"** से अभिप्रेत है, 12 माह की अवधि जो एक अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है ;

न) **"सामान्य शर्तें (General Conditions)"** से अभिप्रेत है, इन विनियमों में विहित व्यापार (Trading) की सामान्य शर्तें ;

प) **"ग्रिड संहिता (Grid Code)"** से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ज) के अधीन निर्दिष्ट मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MP Electricity Grid Code-MPEGC) तथा इसमें सम्मिलित है समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) ;

फ) **"राज्यान्तरिक व्यापार (Intra-State Trading)"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र (territory) के भीतर विद्युत व्यापार का संचालन ;

ब) **"अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business)"** से अभिप्रेत है, अनुज्ञप्ति के क्षेत्र (Area of Licence) में विद्युत व्यापार का कारोबार/व्यवसाय जैसा कि इसे व्यापार अनुज्ञप्ति में अधिकृत किया गया हे ;

भ) **"चलनिधि अनुपात (Liquidity Ratio)"** से अभिप्रेत है, तरल परिसम्पत्तियों (Liquid Assets) तथा चालू देयताओं/देनदारियों (Current Liabilities) के मध्य अनुपात, जहां :

(एक) तरल परिसम्पत्तियों (Liquid Assets) का निर्धारण चालू परिसम्पत्तियों में से सामग्री सूची (Inventory) तथा अग्रिम भुगतान व्ययों(Prepaid Expenses) को घटा कर किया जाता है ; और

(दो) चालू देयताओं (Current Liabilities) में विविध ऋणदाताओं (sundry creditors), प्रावधानों तथा एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाई जाने वाली देयताओं/देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है ;

म) **"मध्यप्रदेश अधिनियम (MP Act)"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001) ;

य) **"मप्र राभाप्रेके (MP SLDC)"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (Madhya Pradesh State Load Despatch Centre) ;

र) **"निवल/शुद्ध मूल्य (Net Worth)"** से अभिप्रेत है, चुक्ता इक्विटी शेयर पूंजी (paid-up equity share capital) तथा अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर (compulsory convertible preference shares) तथा मुक्त आरक्षित निधि (free reserves){उसे छोड़कर जिसका सृजन पुनर्मूल्यांकन (revaluation) तथा अवमूल्यन (depreciation) के 'write back' द्वारा किया गया हो} के योग में से प्राप्त समग्र मूल्य (aggregate value) में से संचित हानियों (accumulated losses), आस्थगित व्यय (deferred expense) {विविध व्ययों (miscellaneous expenses) को जोड़कर} जिन्हें बट्टे–खाते (write-off) में न डाला गया हो तथा संबद्ध संस्थाओं (associates) को प्रदत्त ऋणों, अग्रिम राशियों तथा पूंजी निवेशों को घटाकर प्राप्त मूल्य जिसे निवल/शुद्ध मूल्य (Net Worth) कहा जाता है;

ल) **"अन्य कारोबार/व्यवसाय (Other Business)"** से अभिप्रेत है, राज्यान्तरिक व्यापार (intra-state trading) के अनुज्ञप्त कारोबार (licensed business) को छोड़कर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का अन्य कारोबार/व्यवसाय ;

व) **"व्यक्ति (Person)"** के अन्तर्गत किसी कम्पनी (Company) या निगमित निकाय (body corporate) या संस्था/संगठन (association) या व्यक्तियों के निकाय (body of individuals) को सम्मिलित किया जाएगा भले ही वह निगमित (incorporated) हो या फिर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (artificial judicial person) हो ;

श) **"त्रैमास (Quarter)"** से अभिप्रेत है कोई त्रैमासिक अवधि (three-month period) जो किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी के प्रथम दिवस को प्रारंभ होकर क्रमशः माह जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च के अन्तिम दिवस को समाप्त होती है ;

ष) **"व्यापार अनुज्ञप्ति (Trading Licence)"** से अभिप्रेत है विद्युत के राज्यान्तरिक व्यापार के दायित्व के निर्वहन हेतु अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति ;

स) **"व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया गया हो जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार (Inter-State Trading) हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अन्य राज्य/सयुक्त विद्युत नियामक आयोग (State/Joint Electricity Regulatory Commission) द्वारा व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो ; और

ह) **"अन्तरण (Transfer)"** में विक्रय (sale), विनिमय (exchange), उपहार/भेंट (Gift), पट्टे (Lease), अनुज्ञप्ति (licence), ऋण (loan), प्रतिभूतिकरण (scructinization), बंधक/गिरवी (mortgage), भार (Charge), बंधक/धरोहर (Pledge) या किसी ऋण भार (encumbrance) को अनुज्ञेय करने हेतु भरण–पोषण (subsist) या भौतिक आधिपत्य (Physical Possession) से विलग होने या अन्य किसी व्ययन (Disposition) या संव्यवहार (Dealing) को सम्मिलित किया जाएगा।

अध्याय–2 : अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया (Procedure for Grant of Licence)

3. **आयोग के समक्ष कार्रवाई (Proceeding before the Commission):**

इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष समस्त कार्रवाई समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 द्वारा संचालित की जाएगी।

4. **अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु योग्यता (Eligibility for Grant of License)**

4.1 **सामान्य अर्हताएं (General Qualifications)**– आवेदक को संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Article of Association) (ऐसे प्रकरण में जहां कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन, निगमित की गई हो) या साझेदारी विलेख (ऐसे प्रकरण में जहां साझेदारी संस्था का भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीयन किया गया हो) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन

सीमित देयता भागीदारी के वैधानिक दस्तावेजों में उल्लेखित मुख्य उद्देश्यों के अनुसार आवेदक को विद्युत में व्यापार संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाना चाहिए।

4.2 **तकनीकी आवश्यकताएं(Technical Requirements)**

4.2.1 विद्युत व्यापारी हेतु अर्हता के लिये तकनीकी आवश्यकताएं निम्नानुसार होंगी :

क) आवेदक को न्यूनतम एक पूर्णकालिक व्यवसायी को धारित करना होगा जिसकी योग्यता तथा अनुभव निम्न शास्त्र विद्याओं (disciplines) के अन्तर्गत निम्नानुसार हो, अर्थात्

सरल क्रमांक	शास्त्र विद्या(Discipline)	योग्यताएं तथा अनुभव(Qualifications and Experience)
(क)	प्रणाली परिचालन (System Operation) या विद्युत व्यापार (Power Trading) या ऊर्जा जोखिम प्रबन्धन (Energy Risk Management)	अभियांत्रिकी विषय में स्नातक उपाधि, न्यूनतम 5 वर्षों के मैदानी(field) अनुभव के साथ
(ख)	वित्त, वाणिज्य एवं लेखा	CA/ICWA/MBA (वित्त), न्यूनतम 5 वर्षों के मैदानी अनुभव के साथ

ख) आवेदक को कुशल पदाधिकारियों को नियोजित करना होगा जिनमें निचले स्तर पर पर्याप्त योग्यताएं तथा अनुभव एवं मूलभूत कम्प्यूटर जागरूकता रखने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाएगा ताकि वाणिज्यिक संव्यवहारों (comercial transactions) का बाधारहित ढंग से निष्पादन किया जा सके।

ग) इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति राज्यान्तरिक व्यापार हेतु प्रदान की गई है, व्यापारिक गतिविधियों के दायित्व के निर्वहन से पूर्व पदाधिकारियों की तकनीकी आवश्यकता संबंधी अर्हता का अनुपालन करना होगा।

घ) राज्यान्तरिक व्यापार के दायित्व के निर्वहन से पूर्व आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष उसके द्वारा नियोजित पूर्णकालिक

व्यावसायिक (Professional)तथा सहायता प्रदान करने वाले पदाधिकारियों (Supporting Staff) के विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

ङ) आयोग समय–समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से विद्युत व्यापारी द्वारा संधारित की जाने वाली तकनीकी सक्षमताओं (capabilities) के बारे में निर्णय ले सकेगा।

4.2.2 विद्युत व्यापारी अनुज्ञप्ति की समयावधि के दौरान निरन्तर आयोग द्वारा निदेशित तकनीकी सक्षमता (technical capability) तथा संसाधनों के स्तर को कायम रखेगा तथा आयोग के समक्ष इस बारे में किये गये परिवर्तनों के बारे में विवरण प्रस्तुत करेगा तथा यह औचित्य प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा दायित्व के निर्वहन हेतु व्यापार की मात्रा के प्रबन्धन हेतु पर्याप्त सुयोग्यता संधारित की गई है।

4.3 **वित्तीय अर्हताएं : पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकता तथा साख योग्यता (Financial Qualifications : Capital Adequacy Requirement and Credit Worthiness)**

4.3.1 आवेदक आयोग के समक्ष उच्चतम व्यापारिक मात्रा (maximum trading volume) जो वह एक वर्ष के दौरान तथा भविष्यगामी अपनी योजनाओं के अन्तर्गत प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान संव्यवहारित (handle) की जाना प्रस्तावित करता हो, घोषित करेगा।

4.3.2 दायित्व के निर्वहन हेतु प्रस्तावित राज्यान्तरिक व्यापार की मात्रा (volume) पर विचार करते हुए, आवेदन प्रस्तुत करते समय विद्युत व्यापारी का निवल/शुद्ध मूल्य (Net Worth) निम्न तालिका में निर्दिष्ट किये गये मूल्यांकन से कम न होगा :

सरल क्रमांक	व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी (Category)	वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत की मात्रा जिसका व्यापार किया जाएगा (किलोवाट आवार्स में)	न्यूनतम निवल/शुद्ध मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	श्रेणी 'क' (Category A)	50 मिलियन तक	1.00
2	श्रेणी 'ख' (Category B)	50 मिलियन से अधिक तथा 100 मिलियन तक	2.00

3	श्रेणी 'ग' (Category C)	100 मिलियन से अधिक तथा 200 मिलियन तक	4.00
4	श्रेणी 'घ' (Category D)	200 मिलियन से अधिक तथा 500 मिलियन तक	10.00
5	श्रेणी 'ङ' (Category E)	500 मिलियन से अधिक	15.00

4.3.3 व्यापार के संचालन के दौरान किसी भी समय निवल/शुद्ध मूल्य (net worth)व्यापारी की तत्संबंधी श्रेणी के बारे में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकताओं के 75% से कम नहीं किया जाना चाहिए तथा इसे प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जो प्रति वर्ष जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च के दौरान सम्पन्न होगा, की ऊपर दर्शाये गये निर्दिष्ट स्तरों तक प्रतिपूर्ति (replenished) की जाएगी। निवल/शुद्ध मूल्य के अनुपालन के बारे में एक अंकेक्षित प्रमाण–पत्र त्रैमास के अन्तिम दिवस से 30 दिवस के भीतर आयोग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

4.3.4 यदि वर्ष के दौरान किसी भी समय व्यापारित(traded) की गई संचयी ऊर्जा श्रेणीवार व्यापार की निर्दिष्ट मात्रा से अधिक हो जाए तो व्यापारी इस बारे में आयोग को तत्काल सूचित करेगा तथा इसमें निवल/शुद्ध मात्रा में त्रैमास के अन्त तक तत्संबंधी श्रेणी के निर्दिष्ट स्तर तक वृद्धि करेगा।

4.3.5 यदि अनुज्ञप्तिधारी बहुविध(multiple) राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय अनुज्ञप्तियां धारित करता हो तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के व्यापार की मात्रा (trading volume) ऐसी अनुज्ञप्तियों हेतु अपेक्षित संयोजित निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) से अधिक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा त्रैमास की समाप्ति के भीतर तत्संबंधी श्रेणी के तत्संबंधी निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) में वृद्धि कर दी जाएगी।

4.3.6 आवेदन प्रस्तुत करते समय, आवेदक आयोग के समक्ष आवेदक का अर्जन इतिहास (earning history), तुलन पत्र (balance sheet), रोकड़ प्रवाह (cash flow), निधीयन व्यवस्थाएं (funding arrangements) तथा जोखिम प्रबन्धन कार्यनीति (risk management strategy) प्रस्तुत करेगा जो यह प्रदर्शित करे कि आवेदक द्वारा निवल/शुद्ध मूल्य आवश्यकता (net worth requirement)की प्राप्ति कर ली गई है।

4.3.7 आवेदक द्वारा उपरोक्त विनियम 4.3.2 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) धारित किया जाएगा तथा उसके द्वारा न्यूनतम चालू अनुपात (minimum current ratio) 1:1 तथा न्यूनतम चलनिधि अनुपात (minimum liquidity ratio) 1:1 धारित किया जाएगा :

परन्तु यह कि इस विनियम में निर्दिष्ट निवल/शुद्ध मूल्य (net worth), चालू अनुपात (Current Ratio) तथा चलनिधि अनुपात (Liquidity Ratio) की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन वित्तीय प्रतिवेदन तन्त्र (financial reporting network) में विहित किये गये अनुसार अंकेक्षित विशेष तुलन–पत्र (audited special balance sheet) के अनुसार की जाएगी।

4.3.8 उपरोक्तानुसार विनियम 4.3.2 तथा 4.3.7 में निर्दिष्ट किये गये पात्रता मानदण्ड (eligibility criteria) के अलावा, आवेदक को व्यापार अनुज्ञप्ति (Trading Licence) प्रदाय करने हेतु निम्नांकित मूलभूत मानदण्डों (basic criteria) की पूर्ति भी करनी होगी :

एक. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले कम्पनी के किन्हीं भी प्रोत्साहकों (promoters) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या अन्य सुसंगत प्राधिकरण द्वारा उन्हें "इरादतन चूककर्ता (wilful defaulter)" के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो ; और

दो. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली कम्पनी द्वारा जारी ऋण विलेखों (debt instruments) का यदि मूल्यांकन किया जाए तो उसे स्वतन्त्र ऋण–प्रदाय मूल्यांकन अभिकरणों(Independent Credit Rating Agencies) में से किसी भी एक द्वारा प्रदत्त 'C' से अधिक या उसके समकक्ष मूल्यांकन प्रतीक–चिन्ह (equivalent rating symbol) द्वारा निरूपित किया गया हो।

4.3.9 उसके समस्त चालू बैंकरों द्वारा अनुज्ञप्तिधारीके विद्यमान बैंक खाते को 'STANDARD' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

(व्याख्या–भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा उनके ऋण खाते (loan account) को 'Standard'या

'Sub-Standard' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो बैंकिंग क्षेत्र के अन्तर्गत किसी पक्षकार की संसाधन जुटाने की योग्यता (resource raising capability) को प्रभावित करता है)।

4.3.10 यदि अनुज्ञप्तिधारी 'तकनीकी आवश्यकताओं (Technical Requirements)' तथा 'पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकता तथा साख योग्यता(Capital Adequacy Requirement and credit worthiness)' के अन्तर्गत किसी भी शर्त का उल्लंघन करता हो तो आयोग को अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (revoke) निरस्त करने का अधिकार होगा।

4.3.11 **अयोग्यताएं (Disqualifications)**: आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य माना जाएगा यदि :

एक. आवेदक, या उसके कोई भी सहयोगी (Associates), या भागीदार (Partners), या प्रोत्साहक (Promoters) या संचालक/निदेशक' (Directors)निर्विवाद दिवालिया (undischarged insolvent) हो ; या

दो. आवेदक विद्युत के पारेषण (transmission of electricity) हेतु अनुज्ञप्ति धारित करता हो ; या

तीन. आवेदक या उसके किसी भी सहयोगी (Associate), या भागीदार (Partner),या प्रोत्साहक (Promoter),या संचालक/निदेशक (Director) को किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, जहां आवेदन की प्रस्तुति के वर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षों के दौरान किसी भी अवसर उनके विरूद्ध पर नैतिक अधमता (moral turpitude), धोखाधड़ी (fraud) या कोई आर्थिक अपराध (economic offence) सन्निहित हो।

चार. आयोग द्वारा आवेदन की प्रस्तुति के वर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षों के दौरान किसी भी अवसर पर अधिनियम की धारा 19(1) में उल्लेखित कारणों हेतु आवेदक या उसके किसी भी सहयोगी (Associate), या भागीदार (Partner) या प्रोत्साहक (promoter) की अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (revoked) किया गया हो।

पांच. आवेदक या उसके किसी भी सहयोगी (Associate), या भागीदार (Partner), या प्रोत्साहक (Promoter), या संचालक/निदेशक (Director) को आवेदन की प्रस्तुति के वर्ष से ठीक पूर्व के तीन वर्षों के दौरान किसी भी अवसर पर पूर्व में अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध या आयोग के किसी भी आदेश के अपालन (non-compliance) हेतु किसी भी कार्रवाई में दोषी पाया गया हो :

परन्तु यह कि आवेदन प्रस्तुति की दिनांक को तथा तत्पश्चात भी, यदि अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध के अपालन के संबंध में कोई कार्रवाई प्रारंभ की गई हो तो आवेदन पर विचार कार्रवाई के अन्तिम निर्णय के पश्चात किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और भी कि जहां आवेदक को कार्रवाई के अन्तर्गत अपालन का दोषी पाया जाए वहां प्रस्तुत आवेदन का संव्यवहार इस विनियम के अनुसार किया जाएगा।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया (Procedure for Grant of License) :

5.1 ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत के राज्यान्तरिक व्यापार के कारोबार में नियोजित किये जाने का इच्छुक हो, द्वारा आयोग को **प्ररूप–1(Format-1)** में व्यापार अनुज्ञप्तिप्रदान करने हेतु अपना आवेदन अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्ध के अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2024 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान का प्रलेखी साक्ष्य (documentary evidence) भी संलग्न करना होगा।

5.2 राज्यान्तिरक व्यापार अनुज्ञप्ति (Intra-State Trading Licence) हेतु प्रत्येक आवेदन तथा सहायक प्रलेख (supporting documents) समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट की गई प्रतियों की संख्या में आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सचिव को या ऐसे अधिकारी को संबोधित जैसा

कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, निम्न दर्शाये प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करने होंगे :

एक. व्यवसाय योजना (Business Plan) का विवरण पत्र, मय अनुज्ञप्त व्यवसाय (Licensed business) के कार्यान्वियन में व्यय की जाने वाली पूंजी के, ऐसे पूंजीगत व्यय के निधीयन हेतु जुटाये जाने वाले साधन, परिणामी दक्षता सुधार (resultant efficiency improvments) तथा ऐसे अन्य विवरण जैसा कि आयोग द्वारा चाहे जाएं ;

दो. जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) हो, से संबंधित संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Articles of Association) की प्रतिलिपि तथा अन्य व्यावसायिक इकाईयों के प्रकरण में निगमन (incorporation), पंजीकरण (registration) या अनुबन्ध (agreement) जैसे इसी प्रकार के प्रयोज्य प्रलेख ;

तीन. वार्षिक लेखों (Annual Accounts) तथा अन्य इसी प्रकार के प्रलेख जैसा कि अपेक्षित हों की एक प्रति ;

चार. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र (affidavit) जिसमें आवेदन में प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित किया गया हो ;

पांच. जहां आवेदक कोई निगमित निकाय (body corporate) हो, समूह कम्पनी/कम्पनियों के विवरण जो विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार में नियोजित हों, से संबंधित विवरण, भले ही वे मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हों ;

छः. जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) न हो, वहां विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार के किसी व्यवसाय के विवरण प्रस्तुत किये जाएं जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इच्छुक हो भले ही वह मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हो ;

सात. शुल्क के भुगतान से संबंधित अभिस्वीकृति (acknowledgement) की रसीद ; और

आठ. इसी प्रकार के अन्य प्रलेख तथा जानकारी/सूचना, जैसा कि वे आयोग द्वारा चाहे गये हों।

5.3 **आवेदन की विषय–वस्तु (Contents of Application):**

5.3 **आवेदन की विषय–वस्तु (Contents of Application):**

उपरोक्त विनियम 5.1 में संदर्भित आवेदन के अन्तर्गत निम्न विवरण सम्मिलित किये जाएंगे :

एक. प्रस्तावित अनुज्ञप्तिधारी का लघु शीर्षक विवरण (Short Title Descriptive), पता दर्शाते हुए तथा आवेदक से संबंधित विवरण के साथ तथा यदि आवेदक एक कम्पनी हो तो कम्पनी के समस्त संचालकों/निदशकों (Directors) के नाम ;

दो. परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र की अवस्थिति ;

तीन. संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण ;

चार. सामान्य शर्तो के साथ–साथ विशिष्ट शर्त, यदि कोई हो जिन्हे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो तथा सामान्य अथवा विशिष्ट शर्त में चाहा गया विचलन, औचित्य दर्शाते हुए ; और

पांच. इसी प्रकार के अन्य विवरण जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं।

5.4 **आवेदन की अभिस्वीकृति (Acknowledgement of Application):**

आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तिकर्ता अधिकारी (Receiving officer) उस पर इसके प्राप्त होने की तिथि अंकित (note) करेगा तथा इसकी अभिस्वीकृति, प्राप्ति की तिथि का स्पष्ट वर्णन प्रकट करते हुए, आवेदक को प्रेषित करेगा।

5.5 **सार्वजनिक निरीक्षण हेतु सहायक प्रलेखों की प्रतियां (Copies of Supporting Documents for Public Inspection):**

आवेदक द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य किसी स्थान पर भी जैसा कि आयोग द्वारा अभिहित किया जाए, विनियम 5.2 में संदर्भित सहायक प्रलेखों (supporting documents) की प्रतियों को सार्वजनिक निरीक्षण हेतु संधारित करना होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो इनकी प्राप्ति हेतु आवेदन करते हों, को ऐसे मूल्य पर प्रलेखों को प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी जो युक्तिसंगत फोटोकॉपी प्रभारों से अधिक न होगी। आवेदक द्वारा सम्पूर्ण आवेदन को, मय संलग्नकों के, विनियम 5.2 में संदर्भित सहायक प्रलेखों को सम्मिलित करते हुए अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आवेदन को आवेदक की वेबसाइट पर ऐसे समय तक प्रकाशित (posted) रखा जाएगा जब तक आयोग द्वारा आवेदन का निराकरण न कर दिया जाए।

5.6 **अतिरिक्त जानकारी हेतु मांग करना (Calling for Additional Information) :**

आयोग या सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अभिहित किसी अधिकारी द्वारा आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या विवरण या प्रलेखों की मांग की जा सकेगी जैसा कि वह आवेदन के संव्यवहार हेतु आवश्यक समझी जाए।

5.7 **आवेदन के यथोचित दाखिल किये जाने संबंधी कार्रवाई को अधिसूचित करना (Notifying the due filing of application)** :

वांछित तथा आवश्यक जानकारी, विवरण तथा प्रलेखों के प्राप्त होने की पुष्टि हो जाने पर, इस प्रयोजन हेतु अभिहित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन अधिनियम तथा इन विनियमों में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर विचार हेतु तैयार है तथा इसे आवेदक को सूचित करेगा।

5.8 **आवेदन तथा इसकी विषयवस्तु का विज्ञापन जारी करना (Advertisement of application and contents thereof)**:

5.8.1 आवेदक द्वारा, इस आशय का आवेदन आयोग को प्रस्तुत किये जाने से सात दिवस के भीतर उसके आवेदन की सार्वजनिक सूचना के बारे में सार्वजनिक विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा, जिसे कम से कम व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों में, जिनमें से प्रथम हिन्दी भाषा में तथा द्वितीय अंग्रेजी भाषा में होगा, के माध्यम से सार्वजनिक टिप्पणियां आमन्त्रित की जाएंगी। विज्ञापन में ऐसे विवरण को सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। सूचना को आवेदक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना जारी रखा जाएगा।

5.8.2 समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन जिसे आवेदक की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि आवेदन के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस के भीतर दाखिल की जा सकेंगी जिसकी एक प्रति सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को ऐसे पते पर जैसा कि इसे कारबार का संचालन विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है, इस

संबंध में जारी आदेश के माध्यम से अधिसूचित अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी।

5.8.3 आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन के बारे में सूचना ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को प्रस्तुत की जाए।

5.9 **आपत्तियां(Objections)**:

क. कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में आपत्ति प्रस्तुत का इच्छुक हो वह सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस या विस्तारित समयावधि के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेगा।

ख. किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के बारे में संशोधन कराये जाने का इच्छुक हो, वह संशोधन के बारे में कथन(statement) आवेदक को आयोग द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।

5.10 **सुनवाइयां तथा स्थानीय पूछताछ (Hearings and Local Inquiries)** :

क) यदि आवेदक ने आवेदन के बारे में यथोचित प्रकार से सूचना का प्रकाशन कराया हो तथा आपत्ति दर्ज करने का समय समाप्त हो चुका हो तो आयोग आवेदन के बारे में सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

ख) आयोग आवेदक को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा आपत्तियां दाखिल की गई हों, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को पूछताछ या सुनवाई के बारे में नोटिस जारी करेगा जैसा कि आयोग उचित समझे।

ग) यदि कोई व्यक्ति आवेदित (applied for) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज करता हो तो आयोग द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, स्थानीय पूछताक्ष निमित्त आयोजित करने हेतु की जा सकेगी।

घ) ऐसी किसी स्थानीय पूछताछ के प्रकरण में, स्थानीय पूछताछ के परिणामों का ज्ञापन–पत्र (memorandum) तैयार किया जाएगा तथा

इसे आवेदक, अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु अभिहित व्यक्ति द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा कि आयोग निर्देश दे; द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6. **अनुज्ञप्ति प्रदान करना (Grant of Licence):**

6.1 आयोग द्वारा सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गई टिप्पणियों, सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करते हुए आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित करेगा या फिर आवेदन को निरस्त किया जाएगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

6.2 अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग भी अपने प्रस्ताव के बारे में एक प्रस्ताव आयोग की वेबसाइट पर तथा व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दो समाचार–पत्रों में, जैसा कि आयोग उचित समझे, उक्त व्यक्ति का नाम तथा पते का उल्लेख करते हुए जिसे वह अनुज्ञप्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता हो, और अन्य कोई विवरण दर्शाते हुए जिन्हें आयोग प्रकट करना उचित समझता हो, कार्यान्वित करेगा। तद्नुसार, आयोग अपने प्रस्तावों के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां सूचना के प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आमंत्रित करने संबंधी कार्रवाई करेगा।

6.3 इन विनियमों के विनियम 6.2 के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रतिक्रिया में आगे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों की प्रतिक्रिया में आयोग आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या फिर आवेदन को निरस्त करेगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

6.4 आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन को निरस्त करने से पूर्व, इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन, आवेदक तथा ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव दाखिल किये गये हों, या किसी रूचि रखने वाले व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

6.5 आयोग आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी आदेश पारित होने के सात दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि ऊर्जा विभाग, मप्र शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा आवेदक को प्रेषित करेगा।

6.6 **व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रारंभ (Commencement of Trading Licence) :**

व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रारंभ ऐसी तिथि से होगा जैसा कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

6.7 **व्यापार अनुज्ञप्ति की वैधता (Validity of Trading Licence) :**

जब तक आयोग द्वारा प्रतिसंहरण (revoke) न किया जाए, व्यापार अनुज्ञप्ति की अवधि इसकी प्रारंभिक तिथि से पच्चीस (25) वर्ष होगी।

6.8 **अनुज्ञप्ति की प्रतियों को जमा करना (Deposit of Copies of Licence) :**

ऐसे प्रत्येक को जिसे व्यापार अनुज्ञप्ति (Trading Licence) प्रदान की जाए, द्वारा प्रदाय तिथि से तीस (30) दिवस के भीतर :

क) व्यापार अनुज्ञप्ति को पर्याप्त प्रतियों की संख्या में मुद्रित करायेगा ;

ख) ऐसी व्यापार अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि को प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था कार्यालयीन समय के दौरान अपने मुख्यालय, स्थानीय कार्यालयों में (यदि कोई हों) तथा विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कार्यालय में, जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, करनी होगी ; और

ग) ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त दर्शाई गई तीस (30) दिवस की अवधि भीतर ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हो, व्यापार अनुज्ञप्ति की मुद्रित प्रतियों के विक्रय हेतु जिसका मूल्य सामान्य फोटो कापी प्रभारों से अधिक न होगा, आवश्यक व्यवस्था करेगा

अध्याय–3 : सामान्य शर्तें/अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व (General Conditions/Obligations of Licensse) :

7. **अनुज्ञप्तिधारी के कार्य तथा कर्तव्य (Function and Dutiesof Licensee):**

7.1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में विद्युत के व्यापार संबंधी कारोबार में नियोजित किया जाएगा तथा वह ऐसी किसी भी गतिविधि का दायित्व वहन नहीं करेगा जिसके लिये अधिनियम अनुमति प्रदान नहीं करता है।

7.2 विद्युत व्यापारी :

(क) द्वारा विद्युत के क्रय तथा विक्रय हेतु समस्त अनुबन्ध या व्यवस्थाएं स्थापित की जाएंगी, इसके अतिरिक्त उसके द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति द्वारा आवश्यक प्राधिकार (authorisations) धारित किये जाएंगे ताकि ऐसे अनुबन्धों या व्यवस्थाओं के अधीन वह भलीभांति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके;

(ख) द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ यथास्थिति विद्युत के पारेषण तथा चक्रण हेतु अपेक्षित अनुबन्ध निष्पादित किये जाएंगे ;

(ग) द्वारा व्यापारी तथा विद्युत उत्पादक के मध्य, व्यापारी तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य तथा व्यापारी तथा अपने ग्राहकों के मध्य बिलिंग तथा व्यवस्थापन (billing and settlement) अनुबन्ध निष्पादित किये जाएंगे ;

(घ) द्वारा भली–भांति संरचित भुगतान सुरक्षा क्रियाविधि (payment security mechanism) स्थापित की जाएगी, अर्थात्, व्यापार में लगाई गई विद्युत हेतु भुगतान में किसी चूक के विरूद्ध सुरक्षा हेतु चक्रीय साख पत्र (revolving letter of credit) के माध्यम से या अन्य किसी बेहतर साधन (instrument) के माध्यम से प्रावधान करना ;

(ङ) ग्राहक को यह सूचित करेगा कि यदि व्यापारी का उसके ग्राहक के साथ अनुबन्ध निर्धारित कार्यकाल(fixed term) हेतु है तो उसे पूर्व ही से यह अवगत कराया जाएगा कि अनुबन्ध का समापन (expiry) किस तिथि को होगा तथा यदि आपूर्ति व्यवस्था को जारी रखा जाना हो तो अनुबन्ध समापन अवधि के पश्चात् उसकी विद्युत–दर (टैरिफ) तथा निबन्धन और शर्तें क्या होंगी ;

(च) द्वारा अद्यतन स्थिति दर्शाते हुए पंजी या समस्त कारोबारी संव्यवहारों के अभिलेख संधारित किये जाएंगे ;

(छ) द्वारा समस्त व्यापार संबंधी गतिविधियों के बारे में मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MPSLDC) तथा राज्य पारेषण उपयोगिता (STU) से समन्वयन किया जाएगा तथा उसके द्वारा मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण उपयोगिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन किया जाएगा जो अधिनियम के अधीन उनके कार्यों के परिपालन हेतु जारी किये जाएं ;

(ज) द्वारा चार निरन्तर त्रैमासों हेतु व्यापार गतिविधि के दायित्वों के निर्वहन में कोई चूक या उपेक्षा नहीं बरती जाएगी ;

(झ) द्वारा सुसंबद्ध त्रैमास के अन्त तक अपने निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) में वृद्धि की जाएगी यदि वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के दौरान व्यापार में लगाई गई संचयी ऊर्जा के आधार पर व्यापार की मात्रा निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर होती हो तथा श्रेणी में परिवर्तन का निर्णय प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु व्यापार में लगाई गई विद्युत की मात्रा के आधार पर लिया जाएगा तथा व्यापारी द्वारा आयोग को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर अग्रसर होने तथा निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) में अनुवर्ती परिवर्तनों के बारे में अवगत कराया जाएगा ;

(ञ) तकनीकी आवश्यकताओं, पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकताओं तथा साख योग्यता (credit worthiness) द्वारा नियन्त्रित होगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए तथा जब व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती हो तो पदाधिकारियों (staff) को सम्मिलित करते हुए तकनीक तथा पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यकताओं को समुन्नत (upgrade) करेगा ;

(ट) अपने व्यापार कारोबार हेतु पृथक लेखे संधारित करेगा तथा इन्हें समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार तथा संधारित करेगा तथा ऐसी अन्य विशिष्टताओं तथा वर्णनों को ऐसी रीति द्वारा जैसा कि जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर निर्देशित किया जाए।

(ठ) ऐसे अध्ययन करने के दायित्व का निर्वहन भी करेगा जैसा कि आयोग द्वारा उसे व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में निर्देशित किया जाए तथा व्यापारिक कारोबार के बारे में अन्य कोई विषय जो आयोग लोक हित में आवश्यक समझे। आयोग अपनी स्वेच्छा से किसी स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के क्रियाकलापों (activities) पर तैयार किये गये प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित कर सकेगा ;

(ड) अधिनियम की धारा 66 के अधीन आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा ;

(ढ) इन विनियमों के विनियम 14 में निर्दिष्ट अप्रत्यर्पणीय वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (non-refundable annual licence fee) का भुगतान समय–समय पर यथा पुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग को करेगा ;

(ण) कतिपय अन्य किन्हीं आवश्यकताओं का अनुपालन भी करेगा जैसा कि आयोग द्वारा उसे इस बारे में समय–समय पर निर्देशित किया जाए ; और

(त) ऐसे किसी अनुबन्ध का निष्पादन नहीं करेगा जो उसका प्रमुख स्थिति (dominant position) पर रहते हुए, यदि कोई हो, से उद्भूत दुरूपयोग की ओर अग्रसर हो जो विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा के प्रति दुष्परिणाम का निमित्त बने।

8. **व्यापार अनुज्ञप्तिधारी पर सीमाबद्धताएं (Limitations on Trading Licensee)** :

8.1 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्वानुमति के बगैर :

क. कोई भी वित्तीय संव्यवहार किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता (utility) को क्रय करने या अपने अधिकार क्षेत्र में लेने (take over) या फिर अन्यथा भी उसका अधिग्रहण करने हेतु नहीं करेगा ;

ख. अपनी उपयोगिता का किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ संविलियन नहीं करेगा ; और

ग. अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) की परिसम्पत्तियों पर किसी प्रकार के ऋणभार (encumbrance) का सृजन नहीं करेगा सिवाय जहां कि ऐसा ऋणभार अनुज्ञप्त कारोबार के प्रयोजन हेतु सृजित किया गया हो।

8.2 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी व्यक्ति को कोई ऋण प्रदान करने या किसी व्यक्ति के उत्तरदायित्व के बारे में प्रत्याभूति (guarantee) जारी करने से पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा सिवाय जहां ऐसा अनुज्ञप्त व्यापार (Licensed Business) के प्रयोजनों हेतु निर्मित या जारी किया जाए। कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तें के अनुसार ऋण प्रदान करना तथा कारोबार के साधारण क्रम में व्यापार अग्रिम के प्रदाय को उपरोक्त कथित अनुमोदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

8.3 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति का अन्तरण (transfer) या अभ्यर्पण (assign) किसी भी रीति के अनुसार आयोग की पूर्वानुमति के बगैर नहीं करेगा।

8.4 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) के संबंध में अपनी सहायक कम्पनियों (subsidiaries) में से किसी को भी या नियन्त्रक कम्पनी (holding company) को या ऐसी नियन्त्रक कम्पनी की सहायक कम्पनी को उसे किसी प्रकार का माल या सेवाएं प्रदान करने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए नियोजित कर सकेगा :

(क) यह कि संव्यवहार (transaction) के दायित्व का निर्वहन "निष्पक्ष व्यवहार के आधार पर (arms-length basis)" तथा ऐसे मूल्य पर किया जाएगा जो ऐसी परिस्थितियों में उचित तथा न्यायसंगत हो ;

(ख) यह कि संव्यवहार (transaction) अनुज्ञप्त व्यापार कारोबार (Licensed Trading Business) के संबंध में माल तथा सेवाओं के प्रावधान के बारे में आयोग द्वारा संरचित कतिपय विनियमों के सुसंगत होगा;

(ग) यह कि अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु आयोग को 15 दिवस की सूचना (नोटिस) प्रदान करेगा तथा नोटिस के साथ प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में सुसंगत विवरण भी प्रदान करेगा ; और

(घ) यह कि व्यापार अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु उपरोक्त विनियिम 8.4(क) की आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

8.5 व्यापार अनुज्ञप्तिधारी स्वयं की एक वेबसाइट भी स्थापित करेगा जिसके अन्तर्गत उसे उपलब्ध कराई गई विद्युत की कुल मात्रा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पूर्व से अनुबंधित की गई विद्युत की मात्रा तथा विक्रय हेतु उपलब्ध कराई गई विद्युत की मात्रा तथा इसी प्रकार की अन्य जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा चाही जाए के विवरण प्रकाशित करेगा। ऐसी जानकारी को प्रत्येक बारह (12) घंटो के अन्तराल से अद्यतन (updated) करना होगा।

8.6 व्यापार अनुज्ञप्ति केवल ऐसे क्षेत्र में ही प्रयोज्य होगी जिस हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

9. **अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व(Obligations of Licensee) :**

9.1 अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम, आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों, आदेशों तथा दिशा–निर्देशों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों के उपबन्धों का अनुपालन करना होगा।

9.2 अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अनुसार कार्य का निष्पादन करना होगा सिवाय जहां अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के किसी उपबन्ध को अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय कोई छूट प्रदान की गई हो या फिर उसमें किसी विचलन हेतु आयोग से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया हो।

9.3 अनुज्ञप्तिधारी अपनी गतिविधियों के उत्तरदायित्व का निर्वहन यथोचित ग्रिड संहिता, वितरण संहिता, विद्युत प्रदाय संहिता, अन्य प्रयोज्य विनियमों तथा मानको, आदेशों, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा अधिनियम के अधीन उनके कार्यों के निष्पादन हेतु जारी सांविधिक अधिकारों के अनुसार करेगा।

10. **अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण (Renewal of Licence)** :

जब तक पूर्व में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (revoke) न किया गया हो, अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तिथि से पच्चीस (25) वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः एक मुश्त आगे भी पच्चीस (25) वर्षों के लिये नवीकृत (renewed) हो जाएगी :

परन्तु यह कि प्रकरण के गुण–दोषों पर विचार करते हुए आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति को 25 वर्षों से कम अवधि हेतु भी नवीकृत किया जा सकेगा।

11. **समझे गये अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रयोज्य उपबन्ध (Provisions applicable to Deemed Licensee)** :

इन विनियमों में निर्दिष्ट सामान्य शर्तें समझे गये अनुज्ञप्तिधारी (deemed licensee) को भी प्रयोज्य होंगी।

अध्याय – 4 : लेखे(Accounts)

12.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त कारोबार(Licensed Business) तथा अन्य किसी कारोबार हेतु :

(क) अपने लेखांकन अभिलेख (accounting records) इस प्रकार रखेगा जैसा कि वे ऐसे प्रत्येक कारोबार हेतु रखे जाने चाहिए तथा जैसा कि वे पृथक कम्पनी हेतु क्रियान्वित किये जा रहे हों ताकि राजस्व, लागतें, परिसम्पत्तियां/आस्तियां, देयताएं, संचितियां (reserves) तथा प्रावधान, या यथोचित रूप से, जिम्मेदारी ठहराये जाने हेतु, अनुज्ञप्त कारोबार के संबंध में

अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तकों में, उसके अन्य किसी कारोबार से जहां अनुज्ञप्तिधाारी नियोजित है पृथक से चिन्हांकित हो सकें ; और

(ख) ऐसे लेखांकन अभिलेखों से नियमित आधार पर निम्न विवरण–पत्र तैयार करेगा तथा आयोग को प्रस्तुत करेगा :

(एक) वित्तीय विवरण–पत्र (Financial Statements) ;

(दो) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम छःमाही के बारे में एक अन्तरिम लाभ तथा हानि लेखा, रोकड़ प्रवह विवरण–पत्र, तुलन–पत्र (balance sheet) मय समस्त सहायक अभिलेखों के तथा अन्य कोई जानकारी, यदि कोई हो, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर चाहा जाए ;

(तीन) विनियम 12.1(ख)(एक) तथा (दो) के अनुसार तैयार किये गये वित्तीय विवरण–पत्र के बारे में, प्रत्येक वर्ष हेतु अंकेक्षक का प्रतिवेदन, यह उल्लेख करते हुए कि क्या उनके मतानुसार ये विवरण–पत्र उचित ढंग से तैयार किये गये हैं तथा निम्न के बारे में यथार्थ तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं ;

क. तुलन–पत्र के प्रकरण में, कम्पनी मामलों की वर्तमान स्थिति के बारे में, तथा

ख. लाभ तथा हानि लेखा के प्रकरण में, वित्तीय वर्ष हेतु लाभ या हानि के बारे में।

(चार) प्रत्येक अन्तरिम लाभ तथा हानि लेखा की प्रतिलिपि जो अवधि की समाप्ति से 45 (पैंतालीस) दिवस से बाद की न हो, जिससे कि वह संबंधित है तथा वित्तीय विवरण–पत्रों तथा अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां जो वित्तीय वर्ष के समापन से छः माह से अधिक अवधि की न हो, जिससे कि वह संबंधित हैं।

12.2 आयोग की पूर्व जानकारी के बगैर, पूर्व वित्तीय वर्ष के मुकाबले चालू वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय वितरण पत्र तैयार करने के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः प्रभार (charge) या संविभाजन (appartionment) या आवंट में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। कोई परिवर्तन, यदि प्रस्तावित किया जाए, जो कि प्रभार, या राजस्वों के संविभाजन या व्ययों के बारे में हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानकों या इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के सुसंगत होना चाहिए।

12.3 जहां किसी वित्तीय वर्ष के बारे में वित्तीय विवरण–पत्रों (Financial Statements) के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे प्रभार, या संविभाजन या आवंटन के आधार में ठीक एक वर्ष पूर्व अपनाए गये मानदण्डों में परिवर्तन किया गया हो तो अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर, वित्तीय विवरण–पत्र को विनियामक लेखांकन (Regulatory Accounting) के प्रयोजन हेतु ऐसे अपनाये गये मानको के साथ–साथ पूर्व वर्ष में अपनाए गये मानदण्डों के आधार पर तैयार कर, अतिरिक्त रूप से इन्हें आयोग को प्रस्तुत करेगा।

12.4 विनियम 12.1 के अधीन तैयार किये गये वित्तीय विवरण–पत्र, जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुमोदित तथा निदेशित न किया जाए :

(क) इन विनियमों में निर्दिष्ट रीति के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखों (Annual Accounts) के साथ तैयार किये जाएंगे तथा प्रकाशित किया जाएगा ;

(ख) के बारे में अंगीकृत की गई लेखांकन नीतियों का उल्लेख किया जाएगा ; तथा

(ग) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किये जाएंगे।

12.5 इस अध्याय में लागतों (costs) या देयताओं (liabilities), या यथोचित जिम्मेदारी ठहराये जाने हेतु के संदर्भ में, अनुज्ञप्त कारोबार या अन्य कारोबार को करारोपण (taxation) तथा पूंजीगत देयताओं (capital liabilities) को छोड़कर माना जाएगा जो सैद्धान्तिक रूप से ऐसे कारोबार तथा उस पर ब्याज से संबंध नहीं रखते।

12.6 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 12.1 के अधीन प्रत्येक वर्ष हेतु तैयार किये वित्तीय विवरण–पत्र तथा विनियम 12.1(ख) (तीन) में उल्लेखित प्रत्येक वर्ष हेतु अंकेक्षक प्रतिवेदन को किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किये जाने पर ऐसे मूल्य पर जिसकी लागत इनकी अनुलिपिकरण (duplicating) लागत से अधिक न होगी, उपलब्ध कराया जाए।

अध्याय 5 : आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान(Provision of Information to the Commission)

13.1 अनुज्ञप्तिधारी उसे अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से 60 दिवस के भीतर **प्ररूप–2** में अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य समस्त जानकारी आयोग को उपलब्ध करायेगा। तदोपरान्त, इस प्ररूप को अनुज्ञप्तिधारी प्रति वर्ष, वित्तीय वर्ष के समापन से एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

13.2 अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त जानकारी जैसा कि वह अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों के बारे में तथा अन्य किसी वैधानिक या विनियामक आवश्यकता के अनुश्रवण (monitor) हेतु समय–समय पर चाही गई हों, अविलंब उपलब्ध करायेगा। अनुज्ञप्तिधारी त्रैमासिक जानकारी मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र को **प्ररूप–4** में उपलब्ध करायेगा। मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करेगा तथा इसे व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) से प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर यथोचित सत्यापित की गई जानकारी आयोग को प्रस्तुत करेगा।

13.3 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) या अन्य कारोबार से संबंधित प्रलेख (documents) तथा विवरण जैसा कि वे आयोग द्वारा स्वयं के प्रयोजन हेतु या भारत सरकार, राज्य शासन, राज्य पारेषण उपयोगिता (STU),मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MPSLDC), के केन्द्रीय आयोग और/या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के प्रयोजनों हेतु चाहे जाएं, भी प्रस्तुत करेगा।

13.4 अनुज्ञप्तिधारी यथोचित ऐसी समस्त जानकारी संधारित करेगा जैसा कि वह अधिनियम की धारा 128(8) के अधीन निर्दिष्ट की गई हो।

13.5 यह प्रदर्शित करने हेतु कि व्यापारी द्वारा निवल/शुद्ध मूल्य (net worth) मानदण्डों का अनुपालन किया गया है, अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त जानकारी ऐसे प्रपत्र में तथा रीति के अनुसार उपलब्ध करायेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

13.6 अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 73(झ) तथा 74 के अधीन वांछित जानकारी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) को प्रस्तुत करेगा।

13.7 अनुज्ञप्तिधारी, यथाशीघ्र व्यावहारिक, प्रबन्धन नियन्त्रण (management control) में किसी परिवर्तन होने बाबत या उसके कारोबार के शेयर धारण प्रतिमान (share holding pattern) में मुख्य परिवर्तन होने पर इसे आयोग को प्रतिवेदित करेगा।

अध्याय 6 : वार्षिक शुल्क का भुगतान (Payment of Annual Fees)

14.1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रारंभिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान आनुपातिक आधार पर (pro-rata basis) दिवस संख्या के लिये इन विनियमों में समय–समय पर निर्दिष्ट अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यह कि आनुपातिक आधार पर वर्ष के किसी भाग हेतु गणना किये गये शुल्क को निकटतम 100 (सौ) रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

14.2 प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिये, जब अनुज्ञप्ति प्रभावशील रहती हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का अग्रिम भुगतान, निम्न तालिका में दर्शायेनुसार प्रति वर्ष 31 मार्च तक करना होगा :

सरल क्रमांक	प्रति वर्ष व्यापारित(traded) की जाने वाली विद्युत की प्रस्तावित मात्रा (किलोवाट ऑवर्स में)	वार्षिक शुल्क (लाख रूपये में)
1	50 मिलियन तक	1.00
2	50 मिलियन से 100 मिलियन तक	2.00
3	100 मिलियन से 200 मिलियन तक	5.00
4	200 मिलियन से 500 मिलियन तक	7.00
5	500 मिलियन से अधिक	12.00
6	1000 मिलियन से अधिक	15.00

14.3 ऐसे प्रकरण में जहां अनुज्ञप्तिधारी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न श्रेणी से उच्चतर श्रेणी की ओर अग्रसर हुआ हो, वहां उच्चतर अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान (उच्चतर श्रेणी के लिये) आनुपातिक दिवस आधार पर, वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि हेतु करना होगा जो निम्न श्रेणी में पूर्व में भुगतान किये गये वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के समायोजन के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा।

14.4 जहां अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 14.1 और/या 14.2 के अधीन किन्हीं भी विनिर्दिष्ट तिथियों तक किसी भी शुल्क का भुगतान करने में चूक करता हो, वहां :

(एक) अनुज्ञप्तिधारी को बकाया राशि पर ब्याज का भी भुगतान प्रचलित बैंक दर {भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दर}पर करना होगा जिसके अनुसार देय ब्याज की बकाया राशि के भुगतान की अवधि भुगतान की देय तिथि से लेकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक होगी।

(दो) इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाई शुल्क के भुगतान संबंधी कार्यवाई (proceedings) के अध्यधीन की जाएगी।

(तीन) अधिनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में आयोग अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण (revoke) की कार्रवाई भी कर सकेगा।

अध्याय 7 : अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण(Revocation of Licence)

15.1 अधिनियम की धारा 19 तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आयोग किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकेगा तथा यदि वह कार्रवाई से सन्तुष्ट हो कि ऐसी कार्रवाई लोकहित में की जाना आवश्यक है तो अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही निम्न प्रकरणों में की जा सकेगी :

(क) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम या उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार उसके द्वारा निष्पादित किये जाने संबंधी कार्य में इरादतन (जानबूझकर) तथा दीर्घकालीन चूक की गई हो या फिर वह आयोग द्वारा जारी आदेशों या दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो ;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करता हो तथा इस प्रकार का उल्लंघन ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित भी हो जाता हो जिसके अनुसार वह अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी हो ;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन में विफल रहा हो या आयोग द्वारा अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि प्रदान करने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित न हुआ हो :

एक. जो आयोग की तुष्टि के अनुसार यह प्रकट करे कि वह अनुज्ञप्ति के अनुसार अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुपालन में सक्षम नहीं है ; या

दो. अनुज्ञप्तिधारी जमा की जाने वाली राशि या प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत करने या शुल्क तथा अन्य प्रभारों की राशि जमा करने में विफल रहा है ;

(घ) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में तथा उसे प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण रूप से तथा दक्षतापूर्वक अक्षम है ; और

(ङ) उसके द्वारा ऐसी कोई कारोबार की गई है जिसके अनुसार वह अधिनियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार तथा अन्य कारण से भी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी है।

15.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त विनियमों, संहिताओं, मानकों के साथ–साथ आयोग के आदेशों तथा दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन करना होगा। जब आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि उसके द्वारा जारी कोई भी आदेश अनुज्ञप्तिधारी को इसका अनुपालन करने हेतु बाध्य करता है, तद्नुसार, उसके किसी भी आदेश के अपालन से अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अनुज्ञप्ति को निरस्त किये जाने का भागी होगा (ऐसा आयोग को कथित अनुज्ञप्ति को किसी अन्य प्रयाज्य आधार पर निरस्त किये जाने हेतु बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा)।

15.3 जब तक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त करने बाबत जांच न कर ली जाए, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकेगा। ऐसा आयोग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु तीन माह का नोटिस लिखित में जारी किया जाएगा। इस नोटिस के अन्तर्गत आयोग द्वारा कथित कार्रवाई के कारण स्पष्ट किये जाएंगे तथा नोटिस अवधि के दौरान में भी प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

15.4 विद्युत अधिनियम की धारा 19(4) के अनुसरण में आयोग यह भी निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति का पूर्णतया प्रतिसंहरण न किया जाए तथा अनुज्ञप्ति के प्रावधानों के अधीन परिचालन को जारी रखा जाए जिस हेतु अतिरिक्त शर्तें तथा निबंधन अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जा सकेंगे जैसा कि आयोग उचित समझे। ऐसी आगे अधिरोपित की जाने वाली निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगी तथा अनुज्ञप्तिधारी को इनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा तथा वे 'शक्ति (force)'तथा 'प्रभाव (effect)'के समकक्ष होंगी जैसा कि वे अनुज्ञप्तिधारी की मूल निबंधन तथा शर्तों में प्रारंभ ही से सम्मिलित थीं।

15.5 जब अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करता हो तथा आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा किया जाना सार्वजनिक हित में है तो आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण ऐसी निबंधन तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा।

15.6 आयोग अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का नोटिस जारी करेगा तथा इस हेतु वह प्रतिसंहरण की तिथि भी निर्धारित करेगा। इसी के साथ–साथ वह यह भी

निर्दिष्ट करेगा कि आगे प्रतिसंहरण की कार्रवाई के पश्चात् दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जाएगा।

15.7 जहां आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण बाबत नोटिस जारी किया जा चुका हो,वहां किसी अर्थदण्ड पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जो कि अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किया जा सकता हो या फिर अभियोजन कार्रवाई(Prosecution Proceeding) जो अधिनियम के अधीन आयोग की पूर्वानुमति पश्चात प्रारंभ की जा सकती हो, अपनी उपयोगिता (utility) का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को कर सकेगा जिसे आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान करने योग्य उचित पाया जाए।

अध्याय 8 : अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन (Amendment of Licence Conditions)

16.1 आयोग स्वयं की प्रेरणा से या फिर अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर **प्ररूप–3** में या अन्यथा भी अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग का यह मत हो कि ऐसा किया जाना लोकहित में है।

16.2 जहां आयोग कतिपय परिवर्तनों तथा संशोधनों के बारे में आदेश जारी करता हो, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का आवेदन सन्निहित न हो, तो आयोग इस बारे में ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे, मय निम्नांकित विवरण के यथा :

एक. अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता ;

दो. अनुज्ञप्ति में प्रस्तावित परिवर्तन तथा सुधार/संशोधन ;

तीन. ऐसे परिवर्तनों तथा सुधार/संशोधन किये जाने का आधार ; और

चार. प्रस्ताव पर विवरण–पत्र (Statement),सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए, यदि कोई हों, आयोग के विचार हेतु जो नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी

16.3 इन विनियमों के विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों के साथ प्रयोज्य होगी यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में किसी संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हो।

16.4 अनुज्ञप्ति शर्त में संशोधन हेतु प्रस्ताव पर सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए आयोग आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

16.5 हितधारकों(Stakeholders) से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर विचारोपरान्त आयोग अनुज्ञप्ति में ऐसे संशोधन क्रियान्वित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय 9 : शास्ति(Penalty)

17. विद्युत अधिनियम नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों एवं दिशा–निर्देश जो इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये जाते हैं, का उल्लंघन (viloation) तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित अपालन (persistent non-compliance) किये जाने पर विद्युत अधिनियम की धारा 142 तथा मप्र अधिनियम की धारा 31 तथा अधिनियम तथा विनियमों के प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। शास्ति को अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement) में दावा किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

अध्याय 10 : विविध (Miscellaneous)

18. **अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा निबन्धनों का अनुपालन प्राप्त करने की प्रक्रिया(Procedure for Securing Compliance of Terms and Conditions of Licence)**

18.1 जहां आयोग उसके अधिपत्य में उपलब्ध सामग्री के आधार पर सन्तुष्ट हो कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की निबंधन तथा शर्तों की अवहेलना कर रहा हो या फिर उसके द्वारा इनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को एक नोटिस जारी करेगा जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों की अवहेलना का उल्लेख किया जाएगा या फिर जिनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है के बारे में उसके स्पष्टीकरण की मांग करेगा।

18.2 उसे (अनुज्ञप्तिधारी को)नोटिस की तामील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या आयोग के ई–पोर्टल के माध्यम से, उसके सामान्य पते पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय या कारोबारी पते पर, पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से किसी सन्देश–वाहक (messenger) को सम्मिलित करते हुए, के माध्यम से भी की जा सकती है। जहां आयोग सन्तुष्ट हो कि युक्तियुक्त रूप से उपरोक्त उल्लेखित रीतियों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस जारी करना व्यावहारिक नहीं है वहां आयोग नोटिस प्रदान करने की कार्रवाई समाचार–पत्र में नोटिस के प्रकाशन द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग उचित समझे, कर सकता है।

18.3 आयोग, यदि उचित समझे कि मामलों को प्रभावित व्यक्तियों या वे जिनके इस प्रकार के उल्लंघन अनुसार प्रभावित होने की संभावना है के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है तो उसके द्वारा एक या एक से अधिक समाचार–पत्रों में, उल्लंघन की गई शर्तें तथा निबन्धन या वे जिनकी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन की जाने की संभावना है, के बारे में प्रकाशन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सुझाव आमन्त्रित करेगा।

18.4 अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों के उल्लंघन के बारे में अनुज्ञप्तिधारी या प्रभावित व्यक्तियों/या फिर वे जिनके प्रभावित होने की संभावना है, द्वारा, यथास्थिति विनियम 18.2 के अधीन या फिर समाचार–पत्रों में नोटिस जारी होने के प्रकरण में विनियम 18.3 के अधीन अपने सुझाव तथा आपत्तियां नोटिस की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर दाखिल किये जा सकेंगे।

18.5 आयोग प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों पर विचारोपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा या फिर ऐसे दिशा–निर्देश जारी करेगा जो अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में अनुपालन प्राप्त करने हेतु आवश्यक होंगे।

19. **विवाद निराकरण (Dispute Resolution)**

19.1 अनुज्ञप्ति की व्याख्या से जुड़े उससे उद्भूत समस्त विवाद तथा मतभेद (differences) या इनसे संबद्ध शर्तों तथा निबन्धनों का यथासंभव निराकरण परस्पर परामर्श (mutual consultation) तथा सामंजस्य से अनुबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

19.2 आयोग को व्यापार अनुज्ञप्तिधारी(Trading Licensee), अन्य अनुज्ञप्तिधारियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों के मध्य उठे विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक निर्णय लेने (adjudicated) या फिर अधिनियम की धारा 86(1)(च) के अनुसरण में ऐसे विवादों को मध्यस्थता (arbitration) हेतु भेजने का अधिकार होगा।

19.3 समस्त वाद विषय (issues) जो अनुज्ञप्ति (licence) से संबंधित इन निबन्धन तथा शर्तों की व्याख्या के बारे में उद्भूत हों वे आयोग द्वारा अवधारण किये जाने की विषयवस्तु होंगे तथा ऐसे वाद विषयों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा जिसका केवल अधिनियम की धारा 111 के अधीन अपील के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए निराकरण किया जा सकेगा।

19.4 उपरोक्त विनियम 19.2 के अधीन विवादों हेतु विवाचन/मध्यस्थता (arbitration) की कार्रवाई का प्रारंभ तथा संचालन आयोग द्वारा किया जा

सकेगा या फिर विवादों को आयोग द्वारा निर्दिष्ट तथा समय–समय पर पुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार यथास्थिति अन्य व्यक्तियों की मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

19.5 आयोग आदेश द्वारा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) को क्षतिपूर्ति की ऐसी कोई राशि जैसा कि आयोग निर्देश दे ऐसे व्यक्ति(यों) को, जो व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के किसी कर्मचारी या एजेन्ट की कतिपय कार्रवाई के संचालन, चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या पूर्वाग्रही (prejudiced) हुए हो प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

20. **व्यापार मार्जिन (Trading Margins)**

अनुज्ञप्तिधारी राज्यान्तरिक व्यापार के बारे में व्यापार मार्जिन (Trading Margin) का विषय (Subject) होगा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर इस संबध में अवधारित किया जाए।

21. **अनुपालन मानदण्ड (Standards of Performance)**

21.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुपालन (performance) के बारे में त्रैमासिक जानकारी **प्ररूप–5** में मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र (MP SLDC) को प्रस्तुत करेगा। मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करेगा तथा यथोचित सत्यापित प्ररूप आयोग को जानकारी प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा। आयोग मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से परामर्श उपरान्त किसी अनुज्ञप्तिधारी हेतु या फिर अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग हेतु व्यापार अनुज्ञप्तिधारी और/या मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से आदान (inputs) प्राप्त होने पर प्ररूप में संशोधन कर सकेगा।

21.2 अनुपालन में प्रयोज्य मानकों से पाये गये किसी विचलन पर आयोग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने द्वारा मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र नियमित आधार पर व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के अनुपालन के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनायेगा।

21.3 मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इन विनियमों के अध्याय 3 के विनियम 7.2 (ख), (घ), (छ), (ज), (झ) तथा (ढ) में निर्दिष्ट सामान्य शर्तों का अनुश्रवण (मानिटर) करे। इस प्रयोजन से मप्र राज्य प्रेषण

केन्द्र द्वारा चाही गई जानकारी को प्रस्तुत करने में व्यापार अनुज्ञप्तिधारी अनुगृहीत होगा।

22. **व्यवस्थापन तथा असन्तुलन (Settlement and Inbalances)**

असन्तुलनों का व्यवस्थापन राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच विनियमों (Open Access Regulations) सन्तुलन एवं व्यवस्थापन क्रियाविधि (Balancing and Settlement Mechanism) के अनुसार किया जा सकेगा, जैसा कि आयोग निर्दिष्ट करे।

23. **सम्प्रेषण (Communication)**

23.1 इन विनियमों के अधीन समस्त पत्र व्यवहार (सम्प्रेषण) (communication) लिखित में किया जाएगा तथा इसे प्राप्तिकर्ता (addresee) को व्यक्तिगत या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा या फिर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से उसके पंजीकृत कार्यालय के पते या फिर सामान्य (usual) आवास पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय पते पर या प्राप्तिकर्ता के व्यावसायिक स्थल के पते पर प्रेषित किया जाएगा।

23.2 समस्त सम्प्रेषण को प्रेषक द्वारा भेजा गया तथा प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा :

क) जब इसे प्राप्तिकर्ता या उसके अधिकृत अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाए ; या

ख) प्राप्तिकर्ता के पते पर इसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्प्रेषण की तिथि से 15 दिवस की अवधि क समापन पर ।

24. **शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax)**

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

25. **कठिनाई दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulty)**

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग स्व प्रेरणा से अथवा किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर आदेश द्वारा, अधिनियम, नियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

26. निरसन एवं व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

26.1 इन विनियमों मे अन्यथा प्रावधान के अलावा, विनियम अर्थात् मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु पात्रता संबंधी मापदण्ड तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य तथा निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया) विनियम, 2004 जैसा कि वे इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

26.2 ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य, कोई कार्यवाही, बनाया गया या जारी किया गया नोटिस अथवा कोई अनुज्ञप्ति, आज्ञा प्राधिकार, छूट जो निरस्त विनियमों के अंतर्गत जारी की गई हो जहाँ तक ये इन विनियमों से असंगत न हो इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

26.3 इन विनियमों के लागू किये जाने से पूर्व व्यापार अनुज्ञप्ति(यों) को इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा तथा वे अनुज्ञप्ति की अवशेष अवधियों हेतु निरन्तर वैध माने जाएंगे तथा इन अनुज्ञप्तियों को लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होंगे। इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

26.4 इन विनियमों में की गई कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता के मामलों में व्यवहार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशाष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए आवश्यक या समीचीन समझता हो।

26.5 इन विनियमों में की गई कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।

टीप : मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबन्धन एवं शर्तें तथा व्यापार अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए)} विनियम, 2025 के हिन्दी रूपान्तरण की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(डॉ. उमाकांत पांडा)
आयोग सचिव

प्ररूप–1 (देखें विनियम 5.1)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मध्यप्रदेश राज्य में राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application form for Grant of Intra-State Trading Licence in the State of MP)

{(जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, वांछित प्रपत्र में आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से भरकर सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को वांछित प्रतियों में मय आवेदन शुल्क रू. .... (रूपये .... केवल) के प्रस्तुत किया जाए}

भाग–क : आवेदक की सामान्य जानकारी (General Information of Applicant)

1. आवेदक का विवरण
   - क) आवेदक का पूरा नाम :
   - ख) आवेदक का पूरा पता
     - एक. पंजीकृत कार्यालय का पता :
     - दो. पत्र–व्यवहार का पता :
   - ग) सम्पर्क दूरभाष संख्या :
   - घ) लैण्डलाइन / मोबाइल संख्या :
     फैक्स संख्या :
     ई–मेल आईडी :
2. स्वामित्व संबंधी विवरण
   - क. कम्पनी / भागीदारी(पार्टनरशिप) फर्म / संगठन (एसोसियेशन) / व्यक्तियों का निकाय(Body of individuals)/ अन्य निर्दिष्ट करें :
   - ख. निगमन(Incorporation) पंजीकरण (Registration) का विवरण
     निगमन पंजीकरणका स्थान
     निगमन / पंजीकरण का वर्ष
     पंजीकरण संख्या
   - ग. संचालकों / निदेशकों (Directors) के नाम तथा पते
3. मुख्य शेयर धारक (Principle Shareholders) / भागीदार(पार्टनर) / सदस्य
4.(क) परिचालन क्षेत्र (Area of operation) का विवरण
   - (ख) अन्य विद्युत अनुज्ञप्तियों(Licences)प्राधिकारका प्रकार, यदि कोई हो, आवेदकसे संबंधित पूर्व में प्रदत्त, विद्युत पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण या व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी :
5. परिचालन संबंधी विवरण (Details of Operation) :प्रथम पांच वर्ष हेतु आवेदक द्वारा मासिक आधार पर दायित्व के निर्वहन हेतु प्रस्तावित उच्चतम व्यापार मात्रा (Maximum Trading Volume) :
6. दायित्व के निर्वहन हेतु निधीयन व्यवस्थाएं (Funding arrangements) {स्त्रोत (source) तथा अनुप्रयोग (application)} :
7. विद्युत क्रय हेतु व्यवस्था :
8. विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों के साथ प्रस्तावित व्यवस्था, यदि कोई हो :
9. संस्था का रिज्युमे (Resume) मय विवरण के :
   - (क) प्रबन्धन क्षमता (Management Capability) :
   - (ख) वित्तीय शक्ति (Financial Strength) :
   - (ग) इन विनियमों के परिप्रेक्ष्य में, संवहनीय रीति (sustainable manner) के अनुसार, क्रियाकलापों / गतिविधियों के निष्पादन संबंधी योग्यता :

10. पूर्व अनुभव (prior experience) (संबंधित कारोबार हेतु पिछले 5 वर्षों के विवरण प्रस्तुत करे)
{संयुक्त उद्यम कम्पनी (JVC)/संघ (Consortium) (जैसा कि लागू हो) के प्रकरण में आवेदन तथा प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा पृथक–पृथक भरा जाए}

सामान्य जानकारी (General Information)	
विकसित की गई परियोजना(ओं) के नाम तथा पता/पते	
विकसित की गई परियोजना(ओं) का/के संक्षिप्त विवरण	
विकसित की गई परियोजना(ओं) की लागत (लाख रूपये में)	
ग्राहक जिसके/जिनके लिये परियोजना(एं) विकसित की गई थीं का/के नाम तथा पता/पते	
ग्राहक(ों) के संदर्भ व्यक्तियों का/के नाम, पदनाम और पता/पते	

11. आवेदक के अन्य कारोबारी उद्यमों (business ventures) के वित्तीय विवरण
{संयुक्त उद्यम कम्पनी (JVC)/संघ (Consortium) जैसा कि लागू हो) के प्रकरण में आवेदन तथा प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा पृथक–पृथक भरा जाए

सामान्य जानाकरी **(General Information)**	
सहायक कारोबारी इकाईयों के नाम	विनिर्मित उत्पाद/प्रदत्त सेवाएं
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

वित्तीय संकेतक (Financial Indicator)	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष
स्थाई परिसम्पतियां (Fixed Assets) सकल स्थाई परिसम्पतियों (Gross Fixed Assets) संचित मूल्य ह्रास (Accumulated Depreciation) शुद्ध स्थाई परिसम्पतियां (Net Fixed Assets)					
पूंजी (Equity) प्रोत्साहक (Promoters) शासकीय/वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक अन्य (विशिष्ट)					
देयताएं/देनदारियां (Liabilities) दीर्घ कालीन (Long Term) लघु कालीन(Short Term)					
आय (Income) विद्युत का विक्रय (Sale of power) अन्य(others)					
व्यय (Expenses) प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय मरम्मत एवं संधारण व्यय कर्मचारी लागतें : ब्याज तथा वित्तीय प्रभार दीर्घ कालीन लघु कालीन अन्य					

समग्र क्रय–विक्रय (Overall Turn over)(लाख रूपये में)	
लाभ एवं प्रतिलाभ (Profit and Returns)(लाख रूपये में) शुद्ध लाभ (net profits) लाभांश का भुगतान (Dividends paid)	
परिचालन अनुपात (Operating Ratios) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Capital Employed) शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ (Return on Net Fixed Assets)	
ऋण सेवा आच्छादन अनुपात(Debt Service Coverage Ratio)	
पूंजीगत पर्याप्तता एवं साख योग्यता (Capital Adequacy and Credit worthiness) ऋण(Debt) / निवल (शुद्ध) मूल्य (net worth) ऋण(Debt) / पूंजी (Equity)	
लाभ–हानि अनुपात (Turnover Ratio) कुल परिसम्पत्ति लाभ–हानि (Total Asset Turnover) स्थाई परिसम्पति लाभ–हानि (Fixed Asset Turn over)	

12. आधारभूत जानकारी (Baseline Information) {कारोबार जिस हेतु अनुज्ञप्ति चाही गई है

सामान्य जानकारी (General Information)	

भाग–ख प्रलेखों की सूची जिन्हें अनुज्ञप्ति आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा (List of Documents to accompany License Application)

1. पूर्व से विद्यमान अनुज्ञप्ति (यदि कोई हो) से संबंधित जानकारी, मय अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि / स्वीकृति (Sanction) के :
2. संस्था के बहिर्नियम तथा अन्तर्नियम (Memorandum and Articles of Association) की प्रतियां (कम्पनियों के प्रकरण में), भागीदारी संलेख (Parternship Deeds) (भागीदारी फर्मों के प्रकरण में) प्रत्येक सदस्य के बारे में पिछले पांच वर्षों के आय–कर रिटर्न की प्रतियां {व्यक्तियों का निकाय (Body of Individuals) तथा व्यक्तियों के संघ (Association of persons) के प्रकरण में} तथा अन्य श्रेणियों के लिये इसी प्रकार के संवैधानिक प्रलेख :
3. निगमन / पंजीकरण का प्रमाणीकरण (certification of incorporation/registration):
4. कारोबार प्रारंभ किये जाने का प्रमाणीकरण :
5. आवेदक या इसके प्रोत्साहकों (promoters) की प्रतिबद्धता हेतु हस्ताक्षरकर्ता का मूल अधिकार–पत्र (Power of Attorney) :
6. आयकर पंजीकरण संबंधी विवरण :

7. प्रबन्धन तथा वित्तीय क्षमता (Management and Financial Capability) से संबंधित आंकड़े :

क. प्रबन्धकीय (managerial) (विनियम 4.2.1 के अनुसार)

(एक) वरिष्ठ प्रबन्धन का बायोडाटा/जीवनवृत (Senior Management Curriculum Vitae)

(दो) विभिन्न श्रेणियों हेतु संवर्ग संख्या (Cadre Strength for different Categories) (तकनीकी तथा गैर–तकनीकी)

ख. वित्तीय (Financial) (विनियम 4.3 के अनुसार)

एक. बैंक संबंधी संदर्भ कि आवेदक आर्थिक रूप से सक्षम (financially solvent) है :

दो. हाल ही के वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्र (तुलन–पत्र) :

तीन. आवेदक तथा उसकी किसी नियन्त्रक कम्पनी (Holding Company),सहायक कम्पनी (SubsidiaryCompany) तथा संबद्ध कम्पनी (Affliated Company) के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक अंकेक्षित लेखे :

चार. उपरोक्त तथ्यों के बारे में किसी सम्मानित सनदी लेखापाल (Reputable Chartered Accountant) द्वारा जारी संलग्न नोट्स तथा प्रमाणीकरण :

ग. वित्तीय क्षमताओं, तकनीकी सक्षमता तथा अन्य पहलुओं की पुष्टि हेतु अन्य कोई प्रलेखी साक्ष्य (documentary-evidence) :

8. आवेदकके कारोबारी प्रस्तावों से संबंधित आंकड़े :

9. प्रस्तावित कारोबार हेतु पंचवर्षीय व्यावसायिक {योजना मय प्रक्षेपणों(projections) के} जिसका संबंध आवेदन से है :

10. लागतों, राजस्वों, परियोजना वित्त प्रबन्धन तथा निधीयन व्यवस्थाओं के पंचवर्षीय वार्षिक पूर्वानुमान (forecasts) {सन्निहित पूर्वानुमानों (assumptions) को स्पष्टतया निर्दिष्ट करते हुए} :

11. एक शपथ पत्र कि आवेदक विद्युत के पारेषण (transmission of electricity) केकारोबार में नियोजित नहीं है :

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप–2 (देखें विनियम 13.1)

आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी प्ररूप

(Format for providing information to Commission)

कम्पनी का नाम ____________________

पंजीकृत पता ____________________

निगमन तिथि (Date of Incorporation) ____________________

पंजीकरण की तिथि ____________________

कारोबार प्रारंभ करने की तिथि ____________________

शेयर पूंजी (Share Capital) ~~(लाख रूपये में)~~ ____________________

ग्राहकों(subscribes)की संख्या ____________________

कम्पनी का निवल (शुद्ध) मूल्य

(Net worth of Company) ____________________(लाख रूपयें में)

अध्यक्ष या अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का नाम ____________________

प्रबन्ध निदेशक का नाम

(यदि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध

निदेशक के पद अलग–अलग हों)

समस्त संचालकों/निदेशकों के

नाम (स्वतंत्र संचालकों/निदेशकों

को सम्मिलित करते हुए, जहां यह लागू हो)

1.

2.

प्रस्तावित संस्था की संरचना

(Organisation Structure) (प्रतिलिपि संलग्न)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्ररूप–3 (देखें विनियम 16.1)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

(मध्यप्रदेश में राज्यान्तरिक व्यापार अनुज्ञप्ति में संशोधन प्रस्तावित करने हेतु आवेदन प्रपत्र)

आवेदक द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र वांछित प्रतियों में सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को मय आवेदन शुल्क के जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि इन विनियमों में उल्लेखित किया गया है, प्रस्तुत किया जाए।

भाग–क

आवेदक एतद् द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अधीन विद्युत में राज्यान्तरिक व्यापार हेतु विद्यमान अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में परिवर्तन या संशोधन कराये जाने बाबत आयोग को निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करता है :

1. विद्यमान अनुज्ञप्ति का विवरण
   अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....
2. व्यापार(Trading) के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हों
   विद्यमान क्षेत्र (Existing Area) प्रस्तावित क्षेत्र (Proposed Area)
3. अन्य निबन्धन तथा शर्तों में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन/परिवर्तन, यदि कोई हो
   विद्यमान निबन्धन/शर्तें प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
   (क)
   (ख)
   (ग)
4. चाहे गये परिवर्तन/संशोधन हेतु कारण
5. यदि प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन के कारण अतिरिक्त पूंजीनिवेश सन्निहित हो तो निधीयन की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी
6. अन्य कोई ब्यौरे जैसा कि वे प्रासांगिक/आवश्यक समझे जाए

दिनांक **आवेदक के हस्ताक्षर**

भाग–ख

किसी विद्यमान अनुज्ञप्ति में संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों की सूची

1. विद्यमान अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि
2. कम्पनी/सोसायटी/स्थानीय प्राधिकारी (Locl Authority) का सुसंबद्ध संकल्प
3. हस्ताक्षरकर्ता का मूल अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) जो आवेदक या उसके प्रोत्साहक से उसे अधिकृत किये जाने की पुष्टि करेगा।
4. अन्य कोई सुसंगत तथा आवश्यक प्रलेख

प्ररूप–4 (देखें विनियम 13.2)

त्रैमास हेतु जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्ररुप

(Format For Submission of Information For the Quarter)

विद्युत व्यापारी का नाम : (मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु प्रस्तुत)

अनुज्ञप्ति का वर्णन :

सरल क्रमांक	व्यापार की मात्रा मिलियन किलोवाट ऑवर में(kWh)	विक्रेता का विवरण*	क्रेता का विवरण*	क्रय का बिन्दु	क्रय मूल्य	विक्रय बिन्दु	विक्रय मूल्य	क्रेता/विक्रेता/ व्यापारी द्वारा वहन किये गये पारेषण/चक्रण प्रभार	क्रेता/विक्रेता/ व्यापारी द्वारा वहन की गई पारेषण हानि	क्रेता/विक्रेता द्वारा वहन किये गये विचलन प्रभार	व्यापार मार्जिन(Trading Margin)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

टीप : समस्त संव्यवहार (transactions) संव्यवहार–वार प्रतिवेदित किये जाने चाहिए तथा इन्हें समेकित (aggregated) नहीं किया जाना चाहिए

*क्रेता/विक्रेता के नाम के अतिरिक्त क्रेता/विक्रेता की श्रेणी अर्थात् विद्युत उत्पादक (generator), आबद्ध विद्युत संयन्त्र (Captive Power Plant), वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee), शासन, उपभोक्ता (जब लागू हो), आदि जानकारी भी प्रकट की जाए

**जहां लागू न हो उसे काट दें

***व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के कॉलम क्र. (2), (3) तथा (4) की जानकारी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा इसे प्ररूप–4 (Format-4) में अग्रेषित किया जाएगा।

प्ररूप–5 (देखें विनियम 21.1)

दिनांक 31 मार्च, वर्ष .... को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु विद्युत व्यापारी के अनुपालन मानदण्डों (Standards of Performance)की प्रस्तुति हेतु प्ररूप

(मप्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु प्रस्तुत)

विद्युत व्यापारी का नाम :

अनुज्ञप्ति का वर्णन :

सरल क्रमांक	त्रैमास के दौरान व्यापार की मात्रा	वर्तमान त्रैमास तक संचयी (Cumulative) व्यापार	क्या व्यापारी की श्रेणी (category) में कोई परिवर्तन हुआ है	क्या श्रेणी में परिवर्तन के कारण व्यापारी के निवल (शुद्ध) मूल्य (net worth) में वृद्धि हुई है	क्या प्रयोज्य अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि आयोग कार्यालय में जमा कर दी गई है	क्या किसी एजेन्सी द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तों में किसी प्रकार का उल्लंघन इंगित किया गया है या विद्युत व्यापारी द्वारा पाया गया है	व्यापार हेतु क्रय की गई ऊर्जा का भुगतान निष्पादन रिकार्ड (track record)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

टीप : राज्य भार प्रेषण केन्द्र संव्यवहार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के कॉलम (2) तथा (3) की जानकारी का सत्यापन करेगा तथा सत्यापित प्ररूप–5 की प्रतिलिपि आयोग को अग्रेषित करेगा।